रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 181] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 11, 1985/चैत्र 21, 1907
No. 181] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 11, 1985/CHAITRA 21, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 1985

का. आ. 298 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन पेपर एन्ड जीजर मर्चेन्ट्स एसोसिएशन लि., बम्बई द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किए गए आवेदन पर वायदा बाजार आयोग, बंबई के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त एसोसिएशन को यथा महाराष्ट्र राज्य में प्रवृत्त मुम्बई साधारण खंड अधिनियम, 1904

(1904 का मुम्बई अधिनियम 1) में यथा परिभाषित बृहत्तर मुम्बई की सीमाओं के भीतर काली मिर्च की अग्रिम संविदाओं के बारे में 20 अप्रैल, 1985 से 19 अप्रैल, 1986 तक (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) की एक वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करती है ।

एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अध्याधीन है जो कि उक्त एसोसिएशन ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा, जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जायें ।

[एफ. सं. 12(1)-आई.टी./85]
पी. एन. कौल, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 1985

S.O. 298(E).—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under section 5 of the Fordwaid Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the Pepper and Ginger Merchants' Association Ltd., Bombay, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act, recognition to the said Association for a further period of one year from 20th April, 1985 to the 19th April, 1986 (both days inclusive) in respect of forward contracts in pepper within the limits of Greater Bombay as defined in the Bombay General Clauses Act, 1904 (Bombay Act I of 1904), as in force in the State of Maharashtra.

The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Association shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(1)-IT|85]
P. N. KAUL, Economic Adviser.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985